495
18/9/15 II

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

सत्यमेव जयते

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 13, शुक्रवार, शाके 1937–सितम्बर 4, 2015
Bhadra 13, Friday, Saka 1937–September 4, 2015

भाग 6 (क)
नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 31, 2015

संख्या प.(ग)(नविक)नियम/डीएलबी /2010/10140:– राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/5944 दिनांक 29–08–2007 में वर्णित चैरीटेबल ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति (वाणिज्यिक उपयोग सहित) के बारे मे निम्नप्रकार स्पष्टीकरण जारी करती है:–

चैरीटेबल ट्रस्ट ऐसे ट्रस्ट को समझा जायेगा जिसका गठन चैरीटेबल गतिविधियों के प्रयोजनार्थ हुआ हो एवं वह राजस्थान राज्य मे प्रवृत्त किसी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो। चैरीटेबल प्रयोजन के तहत ऐसे क्रियाकलाप माने जायेंगे जो लाभ रहित, सामान्य लोक प्रयोजनार्थ किये जावे। जैसे–धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य को बढावा देना, पशुक्रुरता निवारण, जनाधिक्य के लाभ, सुधार अथवा उन्नयन हेतु अथवा अन्य समरूप उद्देश्य। अतः निम्नांकित प्रयोजनार्थ स्थापित चैरीटेबल ट्रस्ट के भूमि एवं भवन को कर मुक्त रखा जाता है:–

1. अनाथ सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, पेंशनर्स रेस्ट हाउस, महिला आश्रम।
2. अपाहिज, अपंग, मूक–बधिर, अंध विद्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र व ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित रोजगार केन्द्र।
3. गौशाला, कुष्ठ आश्रम, प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग साधना केन्द्र, रैन बसेरा आदि सम्मिलित हो सकते हैं।
4. सार्वजनिक जल केन्द्र (प्याउ)/सार्वजनिक मूत्रालय एवं शौचालय।
5. प्रेस क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, रिडिंग रूम (सार्वजनिक वाचनालय)।

राज्यपाल की आज्ञा से,
पुरूषोत्तम बियाणी,
निदेशक एवं सयुंक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।